राजस्थान कर बोर्ड, अजमेर।

अपील संख्या – 558/2018.....जिला.....जयपुर.....

उनवान – पहाडिया कंस्ट्रक्शन कम्पनी, जयपुर बनाम वाणिज्यिक कर अधिकारी, वर्क्स टैक्स–I, जोन–I, जयपुर।

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनीशियल जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए
24.05.2018	**खण्डपीठ** **श्री नत्थूराम, सदस्य** **श्री मदनलाल मालवीय, सदस्य** अपीलार्थी के अधिवक्ता श्री विक्रम गोगरा तथा विभाग की ओर से उप–राजकीय अधिवक्ता श्री डी.पी.ओझा उपस्थित। यह अपील अपीलीय प्राधिकारी तृतीय, वाणिज्यिक कर, जयुपर (जिसे आगे **"अपीलीय अधिकारी"** कहा जायेगा) के द्वारा पारित आदेश दिनांक 09.05.2018 वित्तीय वर्ष 2014–15, अन्तर्गत राजस्थान मूल्य परिवर्धित कर अधिनियम, 2003 की धारा 23(1) के तहत् कायम की गयी मांग राशि के संबंध में पारित किया गया है, के विरूद्ध प्रस्तुत की गयी है। अपील में अपीलीय अधिकारी द्वारा विवादित मांग राशि रू0 17,05,105/– में से राशि रूपये 15,68,105/– की वसूली पर रोक लगाने के प्रार्थना पत्र को अस्वीकार किया। जिसके विरूद्ध यह अपील मय स्थगन प्रार्थना पत्र अधिनियम की धारा 38(4) के तहत् कर बोर्ड के समक्ष प्रस्तुत की गई है। उभयपक्षीय बहस सुनी गई। विद्वान अभिभाषक अपीलार्थी ने तर्क दिया कि पारित अपीलीय आदेश विधिसम्मत एवम् उचित नहीं है। अपीलार्थी व्यवहारी द्वारा राज्य बाहर से माल खरीद कर बेचान नहीं करके संविदा का कार्य किया है, अतः इस प्रकार के संव्यवहार पर मांग राशि का आरोपण किया जाना अनुचित होगा। अतः इस प्रकरण में उन्होंने अपीलीय अधिकारी के समक्ष लम्बित अपील के निर्णय तक विवादित मांग राशि रूपये 17,05,105/– में से राशि रूपये 15,68,105/– की वसूली पर रोक लगाने के प्रार्थना की। उप राजकीय अभिभाषक द्वारा अपीलीय अधिकारी के आदेश दिनांक 09.05.2018 का समर्थन करते हुए अपीलार्थी की यह अपील मय स्थगन प्रार्थना पत्र खारिज करने का निवेदन किया। उभयपक्षीय बहस पर मनन किया गया। उक्त अपील में यह एक निर्विवाद बिन्दु है कि अपीलार्थी व्यवहारी द्वारा माल की खरीद राज्य बाहर से की गई है, इस पर राज्य सरकार जारी अधिसूचना No. F.12(59)FD/Tax/2014-23 दिनांक 14.07.14 के खण्ड 5.1 के अन्तर्गत ऐसे माल पर कर मुक्ति शुल्क के अतिरिक्त अलग से स्थानीय कर दरों से कर दायित्व होने के स्पष्ट प्रावधान है। अतः प्रकरण के गुणावगुण को प्रभावित किये बिना प्रथम दृष्टया सुविधा सन्तुलन विभाग के पक्ष में प्रतीत होता है। अतः अपीलार्थी द्वारा प्रस्तुत अपील मय स्थगन प्रार्थना पत्र अस्वीकार किया जाता हैं। अपील का निस्तारण उपर्युक्तानुसार किया जाता है। आदेश प्रसारित किया गया। (मदनलाल मालवीय) सदस्य (नत्थूराम) सदस्य	